न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 66 / 2021
नरेन्द्र कुमार पाण्डेय पता नरहरी भवन आई.टी.आई के पीछे पुरानी शिववाडी रोड पटेलनगर बीकानेर।

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर मार्फत प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 07.09.2021**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नरेन्द्र कुमार पाण्डेय पता नरहरी भवन आई.टी.आई के पीछे पुरानी शिववाडी रोड पटेलनगर बीकानेर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 21.06.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 546 दिनांक 19.08.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर के पत्रांक 5692 दिनांक 07.09.2021 से जबाव प्राप्त हुआ जो संलग्न मिसिल है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाव पत्र क्रमांक 5692 दिनांक 07.09.2021 का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाव पेश करते हुये अपीलार्थी को प्रेषित पत्र क्रमांक 3904–05 दिनांक 30.06.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है जिसमें अपीलान्ट को सूचित किया गया है कि दिनांक 30.06.2021 को अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत तहसीलदार भुसावर को प्रार्थना पत्र अन्तरित किया जा चुका है तथा वांछित सूचना तहसीलदार भुसावर से सूचना प्राप्त करे। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर से प्राप्त पत्रादिं के साथ) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर को भी भेजी जावे ।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर